एक नजर में

हत्या और दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा

शाहजहांपुर 01 नवम्बर. उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की पाक्सो न्यायालय ने सात वर्ष की मासूम से दुष्कर्म एवं उसकी छोटी बहन की हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. थाना कांट क्षेत्र में 22 फरवरी 2021 को एक गांव में सात तथा पांच वर्षीय दो बहने प्राथमिक विद्यालय में नहाने गई थी. इसी दौरान आरोपी अनिल उर्फ चमेली उन्हें बिस्किट तथा शहद का लालच देकर गांव से दूर खेतों में ले गया और बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया एवं उसकी छोटी बहन की हत्या कर दी. मामले में न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने आरोपी को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को बताया कि थाना कांट में इस मामले की रिपोर्ट 23 फरवरी 2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि 22 फरवरी को आरोपी अनिल उर्फ चमेली दोनों बच्चियों को बिस्किट का लालच देकर खेत में ले गया और बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया जब उसने विरोध किया तो उसके सिर पर लोहे के नुकीले औजार से हमला कर उसे घायल कर दिया था. उन्होंने बताया कि जब दोनों बच्चियों नहा कर घर नहीं आईं तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ गांव तथा खेतों में उन्हें तलाश किया तभी गांव के बाहर छोटी बहन का शव मिला था जबकि 100 मीटर दूर सरसों के खेत में बड़ी बहन पड़ी थी जिसकी सांसे चल रही थी. मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की अदालत मे मामला चला जिसमें उन्होंने आरोपी अनिल को फांसी की सजा सुनाते हुए आदेश में लिखा है कि आरोपी को तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए वहीं आरोपी पर एक लाख 37 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

मायावती ने ओबीसी को जोड़ने की बनायी रणनीति

लखनऊ, 01 नवंबर. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शनिवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट की जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की अलग से ली गयी मासिक बैठक में ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए दिये गये पिछले दिशा–निर्देशों की गहन समीक्षा की गयी। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार ओबीसी समाज को बसपा में जोड़ने हेतु पिछले कुछ महीने पूर्व उनके द्वारा ली गयी बड़ी बैठक में दिये गये ज़रूरी दिशा–निर्देश पर ज़मीनी अमल की समीक्षा की व जिलावार प्रगति रिपोर्ट भी ली। पार्टी को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी जरूरी दिशा–निर्देश दिये गये। बयान के मुताबिक़ चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में कराये जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अर्थात् एसआईआर के महत्व को समझाते हुये उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स को पूरी तत्परता से पूरा करने का ज़रूरी निर्देश भी दिया। मायावती ने कहा है कि बसपा के राजनीतिक संघर्ष में हर व्यक्ति के वोट की अति–महत्वपूर्ण भूमिका है.

सावन–भादो मास की तरह खेतों में भरा लबालब पानी

फसले बर्बाद, किसान चिंतित, अभी तक नहीं पहुंचा सर्वे दल

नवभारत न्यूज

चितरंगी 1 नवम्बर. विकासखण्ड चितरंगी क्षेत्र में पिछले पॉच दिनों से रूक–रूक कर हो रही बारिश से खेतों में सावन–भादो मास की तरह लबालब पानी भर जाने से धान समेत अन्य फसले बर्बाद हो गई हैं।

दरअसल जिले में पिछले पॉच दिनों से अंचल समेत ऊर्जाधानी में बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। आलम यह है कि अंचल के करीब 60 फीसदी फसलें तबाह हो चुकी है। जिसमें मुख्य रूप से धान, उ?द शामिल है। चितरंगी क्षेत्र के फुलकेश, खैरा, धरौली, गांगी, बड़कुड़, गोहा, पोढ़ी, लमसरई, देवगांव, नौडिहवा, बरहट, विजयपुर, बर्दी, चिकनी, मनिकपुर, कोरसर समेत सैकड़ों गांवों की धान की फसले करीब–करीब पानी में तैरते हुये सड़ने लगी हैं। यहां तक कि धान की फसले खेतों एवं खलिहानों में अंकुरित होने लगी हैं। फसलों को बर्बाद होते देख अन्नदाताओं में हाय तौबा मच गया है। वहीं अन्नदाताओं का आरोप है कि इस विधानसभा क्षेत्र मंत्री भी हैं और भाजपा संगठन में बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन किसानों की पीढ़ा को कोई नही समझ रहा है। भाजपा के नेता जश्न मनाने में लगे हैं। जिसके चलते राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कई गांवों में सर्वे करने नही पहुंचे। यहां के कई अन्नदाताओं ने संभागायुक्त एवं कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराया

एआई और आबादी के बदलते स्वरूप को अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण

ग्योंग्ज़ू 01 नवंबर. एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (एपेक) सम्मेलन के समापन पर जारी घोषणापत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व और जनसांख्यिकी के बदल रहे प्रारूप की पहचान पर बल देते हुए एशिया–प्रशांत क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए मज़बूत व्यापार और निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है.

दक्षिण कोरिया गणराज्य के राट्रपति ली जे म्युंग की अध्यक्षता में आयोजित एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक के समापन के बाद, 21 सदस्यों वाले इस संगठन के नेताओं ने आपसी सहमति से ग्योंगज़ू घोषणा जारी किया. इस घोषणापत्र में, सभी को लाभ पहुंचाने वाले आर्थिक विकास को सक्षम बनाने के लिए मज़बूत सहयोग और ठोस कार्रवाई के प्रति नेताओं की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई. इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की तेज़ी से प्रगति और जनसांख्यिकीय बदलावों को मान्यता दी गई है. इसकी वजह यह है कि ये दोनों बातें श्रम बाज़ारों को नया आकार दे रही हैं और एपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए गहरे और दीर्घकालिक निहितार्थ लेकर आ रही हैं. यहां 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक चले दो दिवसीय एपेक 2025 सम्मेलन की थीम एक सतत कल का निर्माण रखी गयी थी. इस 25 सूत्रीय घोषणापत्र में कहा गया है कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है. वैश्विक व्यापार प्रणाली लगातार गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों का तेज़ी से विकास और श्रम बाज़ारों को नया आकार दे रहे जनसांख्यिकीय बदलाव, एपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए गहरे और दीर्घकालिक निहितार्थ रखते हैं.

यूएनएससी ने ईयू के नेतृत्व वाले स्थिरीकरण बल को किया नवीनीकृत

संयुक्त राष्ट्र 01 नवम्बर. यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर हरी झंडी दे दी है.

बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले स्थिरीकरण बल 'यूफोर अल्थिया' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अगले 12 महीनों के लिए नया जनादेश दे दिया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2795 को पारित करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले स्थिरीकरण बल यूफोर अल्थिया के प्राधिकरण को 12 महीनों के लिए नवीनीकृत कर दिया. बेलारूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पोलैंड और लिथुआनिया सीमा को पुन: खोलने पर फैसला एकतरफा नहीं ले सकते क्योंकि इसके लिए द्विपक्षीय समझौता आवश्यक है. बेलारूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रुस्लान वरानकोव ने कहा कि बेलारूस सीमा पार को पुन: खोलने पर तभी सहमत होगा जब वह अवसंरचना, कर्मियों एवं सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा. उन्होंने पड़ोसी देशों की असंगत कार्रवाइयों की आलोचना की इसमें सीमाओं को कई बार बदला गया .

राहुल ने 13 प्रदेशों के स्थापना दिवस पर दी लोगों को शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 01 नवंबर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के विविध रंगों और सांस्कृतिक संपन्नता को नमन करते हुए शनिवार को देश के 13 प्रदेशों के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी. गौरतलब है कि अलग अलग वर्षों में मगर एक नबंवर के दिन ही आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप का गठन हुआ था.

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण: झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
1	2	3	4	5	6	7	8
	जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05						
				योग	22.75		
56	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/3996 भाग भूमि स्वामी गणपत पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढलटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05	52	खुशीलाल पुत्र बट्टूलाल	देशी कवेलू	60.14	खुशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	60.14		
			अमर सिंह पुत्र बट्टूलाल	अंग्रेजी कवेलू	60.14	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
						रमेश(पुत्र)	स्थाई
						बुन्देल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	60.14		
57	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	अजब सिंह पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	67.45	अजबसिंह (मुखिया)	स्थाई
						सियाबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग	67.45		
58	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं	49	श्यामलाल पुत्र भंवरलाल	देशी कवेलू	64.66	श्यामलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.00		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण: झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
1	2	3	4	5	6	7	8
	जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05						
				योग	22.75		
56	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/3996 भाग भूमि स्वामी गणपत पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढलटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05	52	खुशीलाल पुत्र बट्टूलाल	देशी कवेलू	60.14	खुशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	60.14		
			अमर सिंह पुत्र बट्टूलाल	अंग्रेजी कवेलू	60.14	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
						रमेश(पुत्र)	स्थाई
						बुन्देल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	60.14		
57	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	अजब सिंह पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	67.45	अजबसिंह (मुखिया)	स्थाई
						सियाबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग	67.45		
58	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं	49	श्यामलाल पुत्र भंवरलाल	देशी कवेलू	64.66	श्यामलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.00		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण: झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
1	2	3	4	5	6	7	8
	भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34			योग	80.66		
			भमरलाल पुत्र बंशीलाल	देशी कवेलू	16.96	भमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.44		
				योग	18.40		
59	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	नन्नूलाल पुत्र खुमान सिंह	देशी कवेलू	43.92	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	34.77	रामलखन (पुत्र)	स्थाई
				योग	78.69		
60	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	मदनलाल पुत्र खुमान सिंह	टीनशेड	29.07	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	29.07		
			विनोद पुत्र मदनसिंह	अंग्रेजी कवेलू	56.70	विनोद (मुखिया)	स्थाई
				योग	56.70		
			सोनू पुत्र मदन सिंह	देशी कवेलू	14.28	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	35.00		
				योग	49.28		
61	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	छोटेलाल पुत्र बुद्धराम	देशी कवेलू	32.50	छोटेलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	46.90		
				योग	79.40		
			गोवर्धन पुत्र बुद्धराम	देशी कवेलू	32.50	गोवर्धन (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	35.84		
				योग	68.34		
			भगवान	देशी कवेलू	46.80	भगवान	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण: झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
1	2	3	4	5	6	7	8
			सिंह पुत्र बुद्धराम	टीनशेड	1.44	सिंह (मुखिया)	
				पन्नी	49.41		
				योग	97.65		
			पार्वती बाई पुत्र बुद्धा	पन्नी	32.68	पार्वती बाई (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	48.98		
				योग	81.66		
62	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	47	फूलसिंह पुत्र शोभाराम	देशी कवेलू	49.60	फूलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	42.16		
				योग	91.76		
63	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	47	रवि पुत्र दीवान	टीनशेड	36.00	इनका पुनर्वास दपकन में किया गया है	अस्थाई
				पन्नी	30.00		
				योग	66.00		
64	बनेसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.17	8	बनेसिंह पुत्र श्रीराम	टीनशेड	39.30	बनेसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	26.66	लेखराज (पुत्र)	स्थाई
				घासफूस	13.95		
				योग	79.91		

उपरोक्त तालिका अनुसार टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील लटेरी के ग्राम दपकन, नैनागढ़ , धीरगढ़ एवं बैरागढ़ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3 (ड) के तहत सर्वेक्षित 727

तहसील लटेरी के ग्राम दपकन, नैनागढ़ , धीरगढ़ एवं बैरागढ़ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3 (ड) के तहत सर्वेक्षित 727

कुटुंब भी निवासरत हैं, इस प्रकार तहसील लटेरी में कुल 1167 प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 40'X 20'= 800 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जावेंगे। जिसकी समयसीमा भू–अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार प्रस्थापित किया जा सकेगा।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, को पॉच लाख रूपये का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़को और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(18) पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था।
(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।
(20) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
(21) यथोचित पंचायत घर ।
(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।
(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।
(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।
(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी ।
(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
(30) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।
(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।
(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
(34) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
(35) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील लटेरी के ग्राम दपकन में शासकीय भूमि खसरा नंबर–169 का रकवा 23.470 हेक्टेयर में से 15.035 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण क्रमाक – 0007/अ–20 (3)/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला–विदिशा को आवंटित की गई है, साथ ही लटेरी के ग्राम बैरागढ में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 10.431हे0 भूमि के पुनर्वास हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 40'×20' = 800 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा–11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
(37) अधिनियम की धारा 3 (ड) के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा– 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

(एम.एल. अहिरवार) उपयंत्री	(मोहित कमार गुप्ता) उपयंत्री	(कमलेश कुमार) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सिरोंज	(प्रियंका भण्डारी) कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबसौदा

(राहुल ताहेड़) पटवारी पटवारी हल्का 49	(राजेन्द्र शर्मा) राजस्व निरीक्षक मण्डल–3, तहसील लटेरी	(भास्कर रघुवंशी) नायब तहसीलदार मण्डल– 3 तहसील लटेरी	(विनीत तिवारी) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी	(अंशुल गुप्ता) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला विदिशा

G20780/25